

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट-1/अलेसे-III/2058

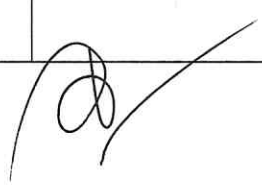
दिनांक :- 11.01.2025

आदेश संख्या 210/2024-25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा-2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे कोषालय, चित्तौड़गढ़ में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें:-

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	SANJAY SINGH SHAKTAWAT S/O CHANDRABHOPAL SINGH 788877	18-07-1997	Chittorgarh	
2.	DHARMESH JEENGAR S/O BHERU LAL 784984	03-02-2001	Chittorgarh	
3.	ADARSH RAJORA S/O JAGDISH CHANDRA RAJORA 789121	05-09-2000	Chittorgarh	
4.	DEEPAK KUMAR S/O HEERA LAL CHOUDHARY 786850	20-10-1994	Chittorgarh	
5.	ASHISH KUMAR DAYMA S/O GHANSHYAM 784110	03-09-1993	Chittorgarh	
6.	BHAGWATI LAL DHAKER S/O RAM LAL DHAKER 783318	20-07-1997	Chittorgarh	

7.	AJAY DHAKAR S/O DEVI LAL DHAKAR 784909	06-04-2000	Chittorgarh	
8.	KAMLESH MALVIYA S/O CHAGAN LAL 783508	09-03-1999	Chittorgarh	
9.	BHERU LAL JAT S/O SHANKAR LAL 786730	10-01-1995	Chittorgarh	
10.	VIBHUTI MAHESHWARI D/O SANDEEP LAVATI 785663	02-11-1995	Chittorgarh	
11.	MUKESH CHANDRA JAT S/O NARAYAN LAL JAT 786507	15-01-1990	Chittorgarh	
12.	KAPIL DHAKER S/O CHHAGAN LAL 784271	17-11-1997	Chittorgarh	
13.	DEV KUMAR JOSHI S/O RAJ KUMAR JOSHI 783713	14-11-2000	Chittorgarh	
14.	PRAVEEN CHOBISA S/O PREM SHANKAR CHOBISA 786867	19-03-1992	Chittorgarh	
15.	SHAILESH BORIWAL S/O MEWA LAL KHATIK 785885	01-11-1995	Chittorgarh	
16.	DEVI LAL GADRI S/O MOHAN LAL 787864	03-11-1999	Chittorgarh	



17.	ROHIT SOLANKI S/O GANESH LAL KHATIK 783860	06-12-1996	Chittorgarh	
18.	PHOOL CHANDRA REBARI S/O LALU RAM REBARI 785353	03-09-1992	Chittorgarh	
19.	PRAVIN REGAR S/O NATHU LAL REGAR 783945	06-11-1997	Chittorgarh	
20.	PRAHLAD MEGHWAL S/O LAXMI CHAND 788433	15-06-1989	Chittorgarh	
21.	SONU JEENGAR S/O RAJESH KUMAR 784268	25-09-1993	Chittorgarh	
22.	AAKASH MANGAL S/O RAMGOPAL MANGAL 785831	15-02-1997	Chittorgarh	
23.	NITESH KUMAR KHATIK S/O BADRI LAL KHATIK 784974	28-04-1994	Chittorgarh	
24.	PREM SHANKAR REGAR S/O NATHU LAL REGAR 783487	06-03-1995	Chittorgarh	
25.	DEEPAK KUMAR KHATIK S/O SURESH CHANDRA KHATIK 788106	10-04-1991	Chittorgarh	
26.	KAMLESH KHATIK S/O RAMESH CHANDRA KHATIK 785458	28-12-1997	Chittorgarh	 25-11-2020

27.	DEVA LAL REGAR S/O JASRAJ REGAR 786248	02-07-1992	Chittorgarh	
28.	SONIA AAMERIA D/O OM PRAKASH AAMERIA 789006	30-01-1998	Chittorgarh	
29.	POOJA PACHAURI D/O POORAN MAL KHATEEK 785276	08-05-1997	Chittorgarh	
30.	SWATI CHAWLA D/O OM PRAKASH CHAWLA 786132	12-03-2001	Chittorgarh	
31.	RAM LAL GADRI S/O NATHU LAL GADRI 783460	14-06-1983	Chittorgarh	
32.	SUNIL MAHESHWARI S/O GANPAT LAL 784546	22-08-1997	Chittorgarh	
33.	RAJENDRA KUMAWAT S/O NARENDRA KUMAWAT 787445	07-09-1986	Chittorgarh	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन दी जाती है :-

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्वधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्वधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।



4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:-
 1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र
 3. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र-ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामले को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
12. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202/2025 विनोद पाटीदार व अन्य, 278/2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347/2025 धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न:- शपथ-पत्रों के प्रारूप


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट-1/अलेसे-111/2058

दिनांक :- 11.01.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावे:-
 1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
 3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
 4. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
 5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र

6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में
(उक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)